



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 8, सोमवार, शाके 1939-अक्टूबर 30, 2017
Kartika 8, Monday, Saka 1939- October 30, 2017

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जन अभियोग निराकरण विभाग-

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 30, 2017

संख्या F16(1)RPG/2017 :- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 की अधिनियम सं० 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं० प.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर 2011, समय समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 4 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 25 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 25ए एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

25ए	टेलिकॉम केबल, डक्ट आदि डालने के लिए राईट ऑफ वें और/अथवा सड़क काटने की अनुमति प्रदान करना।						
(1)	आवेदन करने के उपरान्त राशि जमा करवाने हेतु तकनीमा देना।	10 दिवस	अधिशायी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अति० मुख्य अभियन्ता	
(2)	राशि मय बैंक गारंटी/अनुबन्ध/वन विभाग की अनापत्ति (जो भी आवश्यक हो) जमा कराने के उपरान्त अनुमति प्रदान करना।	7 दिवस	अधिशायी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अति०, मुख्य अभियन्ता	

(ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 7 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 44 के सामने कॉलम संख्या 4 के खण्ड (11) तथा उसके सामने कॉलम संख्या 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 की विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

(अ) जहां आवेदक द्वारा निगम से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर दी गई हैं एवं राईट ऑफ वे (RoW) की आवश्यकता नहीं है।	(अ) समस्त एवं संपूर्ण दस्तावेजों सहित प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 7 दिवस अवधि में	सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	
(ब) जहां आवेदक द्वारा निगम से सम्बन्धित सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर दी गई हैं एवं राईट ऑफ वे (RoW) की आवश्यकता है।	(ब) समस्त एवं संपूर्ण दस्तावेजों सहित प्रार्थना प्राप्ति पत्र के 15 दिवस अवधि में					

(iii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 11 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 65 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या. 65ए एवं 65बी एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

65ए	राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदाय) नियम 1973 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में होटल बार/क्लब बार लाईसेंस जारी	30 दिवस	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (विधि), राजस्थान, उदयपुर	-	-	तकनीकी कारणों, यथा सर्वर डाउन होने, बिजली आपूर्ति नहीं होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने की स्थिति में विभागीय सेवा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई जा
-----	--	---------	---------------------------------	---	---	---	--

	करना							सकेगी।
65वीं	राजस्थान (रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापितियां प्रदाय) नियम 2004 के अन्तर्गत औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में रेस्टोरेन्ट बार लाइसेंस जारी करना	आबकारी 30 दिवस	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (विधि) राजस्थान, उदयपुर	-	-	-	तकनीकी कारणों, यथा सर्वर डाउन होने, बिजली आपूर्ति नहीं होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने की स्थिति में विभागीय सेवा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी।

(iv) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 13 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 76जे एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या. 76के एवं 76एल एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

	भवन मानचित्र स्वीकृती के संबंध में							
76के	भवन मानचित्र अनुमोदन पश्चात प्लिन्थ लेवल तक निर्माण के बाद मौका निरीक्षण कर भवन मानचित्र जारी किये जाना	7 दिन	निदेशक आयोजना (विकास प्राधिकरण)/ वरिष्ठ अथवा उप नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास)	वरिष्ठ नगर नियोजक (विकास प्राधिकरण)/ सहायक नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	सचिव (विकास प्राधिकरण)/ नगर सुधार न्यास	आयुक्त (विकास प्राधिकरण)/ चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)	-	
76एल	कम्प्लीशन/ ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट	8 दिवस (7 दिवस मौका निरीक्षण + 1 दिन कम्प्लीशन / ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने हेतु)	निदेशक आयोजना (विकास प्राधिकरण)/ वरिष्ठ अथवा उप नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास)	वरिष्ठ नगर नियोजक (विकास प्राधिकरण)/ सहायक नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	सचिव (विकास प्राधिकरण)/ नगर सुधार न्यास	आयुक्त (विकास प्राधिकरण)/ चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)	-	

(v) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 15 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 108 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 108ए से 108एम एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

108 ए	नाम हस्तांतरण।	07 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/लिपिक (संबंधित)	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय
108 बी	भू-राजस्व अधिनियम की धारा-90ए के तहत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण/नियमन/आवंटन।	60 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी	निगम स्तर पर नगर नियोजक/सहायक अभियन्ता/राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर/वरिष्ठ	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय

